

छत्तीसगढ़ शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
:: मंत्रालय ::  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

2

क्रमांक 3476/वि-9/SLNA/11

रायपुर, दिनांक 27/08/2011

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत-समस्त,  
छत्तीसगढ़।

विषय : IWMP परियोजनाओं हेतु स्वयं सेवी संगठन (एन.जी.ओ.) के PIA निर्धारण/चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश।

IWMP परियोजनाओं हेतु स्वयं सेवी संगठन (एन.जी.ओ.) के PIA के रूप में चयन हेतु भारत सरकार के द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के पैरा-35.1 अनुसार निहित मापदण्डों में सुचारू रूप से निष्पादित करने हेतु स्पष्टीकरण की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः निम्नानुसार नवीन मापदण्ड के अनुसार परीक्षण के उपरान्त एनजीओ को PIA के रूप में प्रस्तावित किये जाने के पूर्व संस्थाओं की स्क्रीनिंग कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा। तत्पश्चात प्राथमिक रूप से पात्र संस्थाओं की सूची कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संयुक्त अभिमत से SLNA मुख्यालय को अंतिम चयन हेतु प्रेषित की जावेगी। जिला पंचायत की अनुशंसा के साथ-साथ यह भी आवश्यक होगा कि एनजीओ द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का प्रमाणीकरण कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अनिवार्यतः किया जाये। तत्पश्चात ही इसे SLNA मुख्यालय को भेजा जाये।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्तावों का परीक्षण व तथ्यों का प्रमाणीकरण निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जाना सुनिश्चित करें :-

| क्र | विषय वस्तु           | परीक्षण के बिन्दु  | परीक्षण की प्रक्रिया   |
|-----|----------------------|--|--|
| 1   | संस्था का कार्यानुभव | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्राकृतिक संसाधनों/जल प्रबंधन/ जलग्रहण प्रबंधन, आजीविका विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक उत्थान, सामुदायिक संगठन, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह आदि के क्षेत्र में कार्यानुभव से संबंधित तथ्यों का परीक्षण।</li> <li>इस संबंध में संस्था द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने का कम से कम 06 (छः) माह/180 दिन का अनुभव ही मान्य किया जावे। इस प्रकार से विगत तीन वर्षों में अर्जित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा।</li> <li>संस्था द्वारा क्रियान्वित शासकीय</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>संस्था द्वारा जिन जिलों में कार्य सम्पादित किया गया है ऐसे समस्त जिलों के कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से प्रपत्र-1 अनुसार संस्था के कार्यों के संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे।</li> <li>संस्था द्वारा स्थानीय जिले में सम्पादित कार्यों के प्रमाणीकरण हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा</li> </ul> |

























कार्यकारणी व साधारण सभा

1. संस्था का नाम : .....
2. कार्यकारणी व साधारण सभा के कार्यवाही विवरण की उपलब्धता : .....
3. गत वर्ष की गई कार्यकारणी बैठकों की संख्या व बैठकों में उपस्थिति : .....
4. कार्यवाही विवरण का कार्यकारी सदस्यों द्वारा प्रमाणीकरण : .....
5. कार्यवाही विवरण में सम्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं का उल्लेख : .....
6. विगत तीन वर्षों के ऑडिट स्टेटमेन्ट, वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकारणी के कार्यवाही विवरण में क्रियान्वित गतिविधियों में समानता पाई गई हों/नहीं : .....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत-.....

कलेक्टर एवं DWDU अध्यक्ष  
जिला .....